FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

रामोतार **बनाम** केलादेवी आदि

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा नम्बर– 19 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री विनोद कुमार सरोज उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 155/2024 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या 81/2024 बउनवानी केलादेवी बनाम रामोतार वगै. को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया गया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणों को जरिये रजि. नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय से बिन्दुवार टिप्पणी ली जाकर पत्रावली दिनांक 26.11.2024 को पेश हो। (मुकुल शर्मा) **जिला कलक्टर, सीकर**	टिप्पणी No:-1074 dt 3/11/24 959-82 (नोटिस) 21.10.2024
26.11.24	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1,11,13,14, 17, 22 व 24 की ओर से वकील श्री शम्भूदयाल सैनी ने वकालतनामा पेश किया है। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.02.25 को पेश हो।	
05.02.25	निर्धारित तिथि का अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई है। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06.05.25 को पेश हो।	
06.05.25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09.09.25 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र.सं. 19/2024	प्रा.प.स्था. रामोतार V/s केलादेवी आदि
09.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०प० स्थानान्तरण में अंकित आक्षेपित पीठासीन अधिकारी श्रीमति अर्चना बुगालिया R.A.S. 6 माह के मातृत्व अवकाश पर हैं। जिनके स्थान पर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला का अतिरिक्त चार्ज वर्तमान उपखण्ड अधिकारी रींगस के पास है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना-पत्र / पत्रावली में आगामी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः यह प्रार्थना-पत्र स्थानान्तरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर